NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/Women Entry में उत्तीर्ण जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों की दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना में पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं की पुत्रियों को रू0 50,000/– की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने पर विचार।

माननीय श्री राज्यपाल द्वारा NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/Women Entry में उत्तीर्ण होने वाली जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं की पुत्रियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त योजना में दी जाने वाली धनराशि रू0 25,000/– के अतिरिक्त रू0 50,000/– प्रति आश्रित पुत्री की दर से अधिकतम दो पुत्रियों को एकमुश्त सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अर्हताऐं

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये निम्न अर्हताऐं/अभिलेख आवश्यक हैं :–

(क) पूर्व सैनिक/विधवा का आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अपने जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र।

(ख) पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक तथा संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति।

(ग) उपरोक्त परीक्षाओं में भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों के चयनित होने से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति।

(घ) उपरोक्त से संबंधित विभागों/इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने संबंधी विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र।

(च) कैडेट के बैंक की पासबुक की प्रति जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड दर्शाया गया हो।

(छ) पूर्व सैनिक के जीवित न होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

(ज) प्रार्थना पत्र संबंधित विभागों/इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग पूर्ण करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में आना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।